

अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त (THE PRINCIPLE OF MAXIMUM SOCIAL ADVANTAGE)

सार्वजनिक वित्त के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का प्रतिपादन मुख्य रूप से प्रो. डाल्टन (Prof. Dalton) तथा प्रो. पीगु (Prof. Pigou) ने किया। उनके अनुसार सार्वजनिक वित्त के सिद्धान्त अथवा अधिकतम सामाजिक एवं निबल लाभ का सिद्धान्त-सार्वजनिक वित्त के दोनों पहलुओं-राजस्व व व्यय को साथ-साथ नियंत्रित करता है तथा सारे समाज के आर्थिक कल्याण को अधिकतम कर देता है। यह सिद्धान्त कहता है कि सार्वजनिक अधिकारी को राजस्व एकत्रित करना चाहिए तथा लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए व्यय करना चाहिए। कर सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत है। जब भी कोई कर लगाया जाता है तो उसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। जब भी कोई कर लगाया जाता है तो उससे कष्ट होता है क्योंकि उस से क्रय शक्ति कम हो जाती है। जब राज्य कोई कर लगाता है तो समाज को अनुपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी ओर जब राज्य व्यय करता है तब उपयोगिता मिलती है। इसलिए राज्य को अपनी आय तथा व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उपयोगिता अधिकतम तथा अनुपयोगिता न्यूनतम हो।

यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि सभी लोगों का व्यक्तिगत कल्याण अधिकतम नहीं किया जा सकता जबकि समाज के बड़े समुदाय के लोगों का कल्याण अधिकतम होना चाहिए। इसलिये यह सिद्धान्त यह कहता है कि राज्य के आय व व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि समाज को अधिकतम निबल लाभ प्राप्त हो सके अर्थात् सार्वजनिक आय व व्यय को इस प्रकार सन्तुलित किया जाये कि समाज को सामान्य तौर पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो। प्रो. डाल्टन के शब्दों में "सार्वजनिक वित्त के इन क्रिया कलापों के परिणाम स्वरूप उत्पादित धन की मात्रा और प्रकृति में तथा व्यक्तियों तथा विभिन्न वर्गों के मध्य वितरण के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आते हैं क्या वे समग्र समाज के लिये लाभप्रद हैं? यदि हों तो वे क्रिया कलाप न्यायोचित हैं अन्यथा नहीं (As a result of these operations....if not, not) राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति करता है।"

प्रो. डाल्टन ने सुझाव दिया है कि आय किस प्रकार एकत्रित की जाए तथा सार्वजनिक व्यय किस प्रकार किया जाए। उनके अनुसार प्रत्येक दिशा में सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज को किसी भी दिशा में होने वाली छोटी-सी वृद्धि से प्राप्त होने वाला लाभ, किसी भी कराधान में होने वाली वृद्धि या किसी भी सार्वजनिक आय के अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली हानि के बराबर हो।

यह कुल सार्वजनिक व्यय तथा आय का सही योग प्रस्तुत करेगा। इस कुल सार्वजनिक आय के विभिन्न करों एवं आय के अन्य स्रोतों में वितरण के कारण ही यह आवश्यकता उत्पन्न होती है कि सीमांत सामाजिक त्याग या अन्य सभी स्रोतों से उत्पन्न होने वाली अनुपयोगिता बराबर हो। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही कर की एक इकाई बढ़ेगी त्याग का

बोझ बढ़ता जाएगा तथा लाभ की राशि कम हो जाएगी। इस तरह हम एक स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां राज्य द्वारा खर्च पैसे की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाला लाभ उगाए गए राजस्व की प्रत्येक इकाई में होने वाले त्याग के बराबर होगा। अंतिम बिन्दु वह होगा जहां सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होगा। इसलिए आदर्श वित्तीय स्थिति उस बिन्दु पर पहुंचती है जहां एक समुदाय के कर का सामाजिक त्याग तथा सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ एक दूसरे को परस्पर काटते हैं।

3.1 तालिका द्वारा स्पष्टीकरण

(TABLE REPRESENTATION)

अधिकतम सामाजिक लाभ या कल्याण के सिद्धान्त (Maximum Social Welfare or Benefit Theory) को निम्न तालिका 3.1 द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

कराधान और सार्वजनिक व्यय की इकाइयां (Units of taxation & public expenditure)	कर देने की प्रत्येक इकाई से त्याग (Amount of sacrifice due to taxation)	सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सन्तुष्टि की मात्रा (Amount of utility gained due to public expenditure)
1	10	90
2	20	75
3	30	65
4	40	55
5	50	50
6	60	35
7	70	25
8	80	15

तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि समाज पर कर की प्रत्येक इकाई भार में वृद्धि करने से सीमान्त त्याग बढ़ता जाता है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय की प्रति अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए इसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होती जाती है। इसलिए सरकार पांचवें बिन्दु के बाद कर नहीं लगाएगी, इस बिन्दु पर कराधान के कारण सीमान्त अनुपयोगिता या त्याग तथा सार्वजनिक व्यय के कारण प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर है।

चित्र 3.1 में सार्वजनिक वित्त की अधिकतम सीमा को दिखाया जा रहा है जहां MS तथा MB वक्र P बिन्दु पर आकर मिल रहे हैं तथा PM को अधिकतम स्तर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए P बिन्दु एक ऐसी आदर्श स्थिति है जहां लाभ के रूप में कल्याण अधिकतम है। इसके आगे जहां वित्तीय गतिविधियां M^1 बिन्दु पर आकर समाप्त हो जाती हैं वहां सीमान्त लाभ सीमान्त त्याग से आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर सार्वजनिक व्यय के रूप में उपयोगिता समाज पर लगाए गए करों की अनुपयोगिता से अधिक है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक M स्तर तक व्यय नहीं बढ़ जाता। पुनः वित्तीय प्रक्रिया में कम खर्चीली व लाभदायक नहीं होती क्योंकि सीमान्त त्याग सीमान्त लाभ से अधिक है। (P बिन्दु से आगे)। इस प्रकार की स्थिति OM^2 तक में प्रदर्शित की गई है जहां सीमान्त त्याग सीमांत लाभ (P^2 व M^2 का अन्तर) से बढ़ जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय गतिविधियां उस स्तर तक की जानी चाहिए जहां सार्वजनिक व्यय की सीमान्त उपयोगिता सार्वजनिक राजस्व की सीमान्त अनुपयोगिता के बराबर है।




Fig. 3.1

अधिकतम सामाजिक लाभ पर प्रो. मुसग्रेव के विचार (MUSGRAVE'S VIEWS ON THE PRINCIPLE OF MAXIMUM SOCIAL ADVANTAGE)

प्रो. पीगू ने बजट राजनीति के दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। प्रथम के अनुसार साधनों को विभिन्न सार्वजनिक प्रयोगों के लिए इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यय से प्राप्त होने वाला लाभ बराबर हो। दूसरे सार्वजनिक व्यय को इस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए कि व्यय किये गए अंतिम डालर से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कर में दिए गए अंतिम डालर से होने वाली अनुपयोगिता के बराबर हो। प्रो. डाल्टन ने भी प्रो. पीगू के विचारों का समर्थन किया। प्रो. मुसग्रेव ने भी प्रो. पीगू तथा डाल्टन के तर्कों को ही स्वीकार किया यद्यपि उनका सिद्धान्त व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के मूल्यांकन पर आधारित था। उन्होंने चित्र 3.2 द्वारा अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया।

चित्र 3.2 में सार्वजनिक व्यय के क्रमिक डालरों की सीमांत उपयोगिता को जो कि जन प्रयोगों में अनुकूलतम रूप में निर्धारित किये गये हैं aa रेखा द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं तथा bb वक्र द्वारा करों द्वारा लगाए गए सीमान्त त्याग को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक परिव्ययों से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता घट रही है इसलिए यह वक्र बाएं से दाएं को गिर रहा है।




Fig. 3.2

GG रेखा bb को aa में से घटा कर प्राप्त की गई है। यह सार्वजनिक बजट में होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त होने वाले लाभ का मापन करती है। बजट का अधिकतम आकार OS से पता चलता है जहां सीमान्त कुल लाभ शून्य है।

इस प्रकार करों के कारण होने वाला न्यूनतम त्याग सार्वजनिक व्यय से होने वाले व्यय के बराबर है तथा दोनों को बजट योजना के सामान्य सिद्धान्त में जोड़ दिया गया है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यहां एक बात को सदैव याद रखा जाना चाहिए कि कोई भी राजस्व अधिकारी अपनी गतिविधियों को S बिन्दु से अधिक नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि इससे कुल लाभ नकारात्मक ही होगा। इसलिए करों से होने वाला न्यूनतम त्याग अधिकतम लाभ के बराबर होना चाहिए ताकि सार्वजनिक व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

यद्यपि मुसग्रेव ने स्वीकार किया है कि किस मूल्य पर aa तथा bb अनुसूचियों को सुनिश्चित किया जाए यह निश्चित करने में कठिनाई आती है तथा इससे विकल्पनात्मक उपायों के मध्य चुनाव करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए समान सीमान्त सिद्धान्त हमें वह स्पष्ट मानक प्रदान करने में असफल रहता है जिसके द्वारा विविध व्यय कार्यक्रमों की कार्यकुशलता सुनिश्चित की जाती है, इसी तरह न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त भी कर अंशों द्वारा प्रदान के लिए गए क्रियाशील साधनों के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर भी यह सिद्धान्त स्पष्टतया याद दिलाता है कि बजट की योजना किस प्रकार कुशलता से बनाई जाए।

राजस्व व व्यय का अनुकूलतम आंश (OPTIMUM ALLOCATION OF REVENUE AND EXPENDITURE)

सार्वजनिक व्यय को इस तरह वितरित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यय से प्राप्त होने वाले सीमान्त लाभ बराबर हों। इसका अर्थ है कि सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब सार्वजनिक व्यय की औसत उपयोगिता अधिकतम हो तथा उसके अंश की औसत अनुपयोगिता न्यूनतम हो। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय से अधिकतम औसत संतुष्टि प्राप्त हो सकेगी। सरकार को एक मद से दूसरी मद तक व्यय को तब तक स्थानांतरित करते रहना होगा जब तक कि प्रत्येक व्यय से प्राप्त